(राजस्थान सरकार)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना जिला झुंझुनूं

पीठासीन अधिकारी:– हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 111/2018 **जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00539**

1. दलवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह, जाति –जाट, निवासी देवलावास तहसील बुहाना जिला झुंझुनूं (राज0)

....................वादी

बनाम

1. रामोतार पुत्र भरता
2. ओमपति देवी पत्नी विजय सिंह
3. नरेन्द्र सिंह पुत्र विजय सिंह
4. कर्मवीर पुत्र रिछपाल
5. रोशनी देवी पुत्री रिछपाल
6. सावत्री देवी पुत्री रिछपाल
7. विरेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह
8. जितेन्द्र सिंह पुत्र भंवर सिंह
9. जयवीर सिंह पुत्र दलीप सिंह जाति जाट निवासी देवलावास त. बुहाना जिला झुन्झुनूं (राज0)
10. सुमन देवी पत्नी कर्णसिंह
11. राकेश देवी पत्नी लालचन्द जाति अहीर निवासी सातोर त. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
12. राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा पचेरी कलां त. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)
13. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0)

.................प्रतिवादीगण

उपखण्ड अधिकारी बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

दावा बाबत – खाता विभाजन

–:निर्णय:–

दिनांक:– 22/7/24

वादी का वाद पत्र रहा कि:–

1. यह कि वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना जिला झुन्झुनू (राज0) स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता सं. 177 के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.48 हैक्टर, खसरा नम्बर 560 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 678/320 रकबा 0.28 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टर मे से वादी का 1/18 हिस्सा का खातेदार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
2. यह कि वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना मे स्थित कृषि भूमि संवत 2071 से 2074 के खाता सं0 176 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.52 हैक्टर ख.नं. 101 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर में से वादी का 1/3 हिस्सा का खातेदार काश्तकार दर्ज राजस्व रिकार्ड है।
3. यह कि वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना में [illegible] भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता सं. 106 के खसरा [illegible] खसरा नम्बर 529 रकबा 0.48 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर [illegible] का 1/18 हिस्सा [illegible] प्रतिवादी सं. 9 का हिस्सा 0.13 हैक्टर का खातेदार काश्तकार [illegible] राजस्व रिकार्ड है [illegible] प्रतिवादीगण भी अपने अपने हिस्से अनुसार काबिज काश्त है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:34 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

ताामील में जारी

4. यह कि खातेदार भंवरसिंह पुत्र दलीपसिंह व विजयसिंह पुत्र रिछपाल फौत हो चुके है उनके स्थान पर उनके वारिशान को पक्षकार बनाया गया है।
5. यह कि वाद वर्णित कृषि भूमि का वादीगण व प्रतिवादीगण ने बाहमी बंटवारा कर रखा है तथा बाहमी बंटवारे के मुताबिक पक्षकारान अपने अपने हिस्से पर शांतिपूर्वक रूप से काबिज काश्त चले आ रहे है।
6. यह कि वादपत्र के खण्ड सं. 1, 2, 3 में वर्णित कृषि भूमि में वादीगण अपने हिस्से की भूमि को समतल किया है पेड़ आदि लगाये है तथा अपने हिस्से की भूमि को ओर अधिक उपजाऊ करना चाहते है इसलिए वादीगण ने अपने बाहमी बंटवारा में आई कृषि भूमि का खाता विभाजन करवाना चाहते है। वादीगण ने वाद वर्णित कृषि भूमि में से अपने हिस्से की भूमि का प्रतिवादीगण को खाता विभाजन करवाने वास्ते कहा तो प्रतिवादीगण ने साफ इन्कार कर दिया इसलिये यह दावा पेश करना आवश्यक हुआ व दावा के लिये आधार विवाद पेदा हुआ।

वादी ने वाद पत्र पेश कर अनुतोष चाहा कि:–

(क). कि वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादीगण इस आशय का डिक्री फरमाया जावे कि वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता सं0 177 के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 560 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 678/320 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टर तथा खाता सं. 176 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर तथा खाता सं. 106 के खसरा नम्बर 527 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.48 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर भूमि मे वादीगण व प्रतिवादीगण बाहमी बंटवारा के मुताबिक अपने अपने हिस्से पर काबिज काश्त है का हिस्से अनुसार खाता विभाजन किया जाकर अलहेदा खाता व लगान कायम किया जावे।

प्रतिदावा निम्न प्रकार रहा कि :–

यह कि वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2071 से 2074 के खाता सं0 177 के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 560 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 678/320 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टर तथा खाता सं. 176 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर तथा खाता सं. 106 के खसरा नम्बर 527 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.48 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 हैक्टर खाता संख्या 190 के ख0 न0 723/402 कुल रकबा 0.08 है0, तथा खाता संख्या 132 के ख0 न0 530 रकबा 0.64 है0, ख0 न0 694/529 रकबा 0.15 है0, कुल किता 2 कुल रकबा 0.79 है0, भूमि प्रतिवादी अलहेदा खाता व लगान [illegible] जावे। अतः प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 4 की और से पेश कर निवेदन है कि [illegible] दावा [illegible] खण्ड संख्या 1 में वर्णित भूमि में प्रतिवादी संख्या 4 का हिस्सा 1/4 का खाता विभाजन [illegible] आदेश प्रदान करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:34 IST
Reason: SelfAttested

वाद पत्र पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी जारी की गई। बहस विद्वान अधिवक्ता वादीगण सुनी गई। प्रतिवादी संख्या 1, 4 लगायत 10 की और से श्री महेश सांखला एड. ने वकालतनामा मय इकबालिया जवाब दावा पेश किया। व प्राथमिक डिक्री दिनांक 06.12.2021 को की गई। तथा तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुन्झुनूं (राज.)

कार्यालय के पत्रांक 177 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2395 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए शामिल पत्रावली हुए विभाजन प्रस्ताव का अध्ययन किया गया प्रार्थी के अधिवक्ता द्वारा खाता विभाजन, विभाजन प्रस्ताव अनुसार करने हेतु निवेदन किया ।

बहस के अनुसार ,शपथ पत्र, दस्तावेज, सहमति से प्राप्त कुर्रे प्राप्त पर कोई ऐतराज नही किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध प्रलेखीय दस्तावेजात, वादपत्र के अभिवचनों का ध्यान पूर्वक अवलोकन एवं मनन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत् 2075–2078 वाके ग्राम देवलावास स्थित भूमि हाल खाता संख्या 188, 189, 131 में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 के दर्ज हिस्से व मौका कब्जे काश्त अनुसार वाद वादी स्वीकार कर अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाया जाता है।

आदेश

न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 4 बाबत खाता विभाजन अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित पाता है। अतः वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 189 के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 560 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 678/320 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टर तथा खाता सं. 188 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर तथा खाता सं. 131 के खसरा नम्बर 527 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.48 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 06.12.2021 को दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 177 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2395 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श ''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव '''अ–1 लगायत अ–5'' व नक्शा प्रदर्श ''ब'' इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनूं (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:34 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनांक 22/7/24 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बाद मेरे हस्ताक्षर इस न्यायलय के मुद्राकित सरे इजलास सुनाया गया।

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, बुहाना

उपखण्ड अधिकारी बुहाना
जिला झुंझुनूं (राज.)

मूल वाद में (अंतिम) डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय उप खण्ड अधिकारी, बुहाना जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः–
हेमन्त कुमार, आर.ए.एस.

राजस्व वाद सं.– 111/2018
जीसीएमएस नम्बर :– 2018/00539

दलबीर सिंह बनाम रामोतार

दावा बाबत– खाता विभाजन

–:निर्णयः–

दिनांकः– 22/7/24

वादी की ओर से **श्री अशोक यादव एडवोकेट** की उपस्थिती व प्रतिवादी संख्या 4 की और से श्री महेश सांखला एड. की उपस्थिति में शेष की अनुपस्थिती में इस वाद को **हेमन्त कुमार उपखण्ड अधिकारी, बुहाना** के समक्ष अंतिम डिक्री के निपटारे के लिए पेश होने पर, आदेश किया जाता है और अंतिम डिक्री दी जाती है कि–

" न्यायालय वाद वादी एवं प्रतिदावा प्रतिवादी संख्या 4 बाबत खाता विभाजन अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः वाके ग्राम देवलावास त. बुहाना में स्थित कृषि भूमि जमाबन्दी संवत 2075 से 2078 के खाता सं0 189 के खसरा नम्बर 321 रकबा 0.48 हैक्टर, ख.नं. 560 रकबा 0.65 हैक्टर, खसरा नम्बर 678/320 रकबा 0.28 हैक्टर कुल किता 3 कुल रकबा 1.41 हैक्टर तथा खाता सं. 188 के खसरा नम्बर 99 रकबा 0.52 हैक्टर, खसरा नम्बर 101 रकबा 0.44 हैक्टर कुल किता 2 कुल रकबा 0.96 हैक्टर तथा खाता सं. 131 के खसरा नम्बर 527 रकबा 0.28 हैक्टर, खसरा नम्बर 529 रकबा 0.48 हैक्टर, कुल किता 2 कुल रकबा 0.76 है0 में वादी व प्रतिवादी संख्या 4 का दर्ज हिस्से व मौके पर कब्जेकास्त अनुसार खाता विभाजन कर लगान अलहेदा कायम किये जाने का आदेश दिनांक 06.12.2021 को दिया गया था। भूमि का खाता एवं लगान विभाजन मुताबिक तहसीलदार बुहाना को विभाजन प्रस्ताव हेतु इस कार्यालय के पत्रांक 177 दिनांक 23.05.2022 के द्वारा भिजवाया गया। तहसीलदार बुहाना के पत्रांक 2395 दिनांक 06.09.2022 के द्वारा विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के वाद को अंतिम डिक्री किया जाता है। अतः मुताबिक तहसीलदार बुहाना से प्राप्त विभाजन प्रस्ताव प्रदर्श "अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" के अलग–अलग खाता कायम किया जाकर आनुपातिक लगान अलग–अलग कायम किये जाने का आदेश दिया जाता है। विभाजन प्रस्ताव ""अ–1 लगायत अ–5" व नक्शा प्रदर्श "ब" इस निर्णय व डिक्री का अभिन्न अंग रहेगा। तहसीलदार बुहाना को रिकॉर्ड में अमल करने हेतु लिखा जावे। रहन यदि कोई हो तो सम्बन्धित खातेदार काश्तकार को प्राप्त होने वाले रकबे/हिस्से/खसरा नम्बर के हिस्से में दर्ज किया जावे। पर्चा डिक्री जारी हो।"

खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेंगे।

यह आज तारीख 22/7/24 को मेरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दी गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Hemant Kumar
Date: 2024.08.28 11:25:34 IST
Reason: SelfAttested

(हेमन्त कुमार)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर,बुहाना

उपखण्ड अधिकारी, बुहाना, जिला झुंझुनू (राज.)